फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं पदेन् उपखण्ड अधिकारी, बाली जिला पाली (राजस्थान)

वादीगण
अल्पेश पुत्र नारायणलाल जाति लौहार
निवासी बीजापुर तहसील बाली वगैरा

बनाम

प्रतिवादी
राजस्थान सरकार जरिये
(भूमिधारी) तहसीलदार बाली

किस्म मुकदमा राजस्व वाद GCMS NO. -2024/ 396

वाद अंतर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
21/10/24	तहसीलदार बाली से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर पत्रावली पेश हुई। पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड का अवलोकन किया गया। पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन के पश्चात तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव के अनुसार ग्राम बीजापुर स्थित भूमि खसरा नंबर 1524 रकबा 0.72 हैक्टर कुल लगान 5.76 रूपये के रिकार्ड ऑफ राईट्स जमाबंदी में वादीगण के रिकार्ड में दर्ज हिस्सा अनुसार मौके पर किये गये विभाजन के अनुरूप राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 के तहत विभाजन की डिक्री जारी की जाती है। पटवारी हलका, बीजापुर एवं निरीक्षक भू0अ0 बीजापुर द्वारा प्रस्तुत विभाजन रिपोर्ट मय नजरी नक्शा को निर्णय व डिक्री पर्चा का भाग माना जावे। इसी कदर डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय के साथ तहसीलदार, बाली से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव की प्रति रिकार्ड में अमल दरामद व नक्शे में तरमीम के लिये तहसीलदार, बाली को भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी बाली, जिला - पाली (राज.) सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली	

Scanned with CamScanner

डिगरी बमुकदमें इब्तदाई

(ओ. 20 ,रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन् उपखण्ड अधिकारी, बाली जिला पाली (राजस्थान)
बइजलास श्री दिनेश विश्नोई, आर.ए.एस.

वादीगण
अल्पेश पुत्र नारायणलाल जाति लौहार
निवासी बीजापुर तहसील बाली वगैरा

बनाम

प्रतिवादी
राजस्थान सरकार जरिये
(भूमिधारी) तहसीलदार बाली

किस्म मुकदमा राजस्व वाद GCMS NO. 2024/
वाद अंतर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे समक्ष पेरोकार सरकार मिनजानिब मुद्दई व .... मिनजानिव मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन के पश्चात तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव के अनुसार ग्राम बीजापुर स्थित भूमि खसरा नंबर 1524 रकबा 0.72 हैक्टर कुल लगान 5.76 रूपये के रिकार्ड ऑफ राईट्स जमाबंदी में वादीगण के रिकार्ड में दर्ज हिस्सा अनुसार मौके पर किये गये विभाजन के अनुरूप राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 के तहत विभाजन की डिक्री जारी की जाती है। पटवारी हलका, बीजापुर एवं निरीक्षक भू0अ0 बीजापुर द्वारा प्रस्तुत विभाजन रिपोर्ट मय नजरी नक्शा को निर्णय व डिक्री पर्चा का भाग माना जावे। इसी कदर डिक्री पर्चा जारी हो। तहसीलदार बाली को इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद एवं लट्ठा नक्शा में दुरस्ती सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते है। विभाजन प्रस्ताव के संलग्न प्राप्त नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। वादग्रस्त भूमि पर बैंक रहन इस निर्णय से अप्रभावित रहेगा।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 21-10-24 को जारी की गई।

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी ★ बाली, जिला - पाली (राज.) ★

(दिनेश विश्नोई)
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned with CamScanner

राजस्थान सरकार

NIC-BHUNAKSHA

खसरा नक्शा एंव जमाबंदी(प्रतिलिपि)

दिनांक : 22/02/2024 07:16:09 PM

...ला : पाली | तहसील : बाली | भू. अ. नि. क्षेत्र : बीजापुर

...हल्का : बीजापुर | ग्राम : बीजापुर

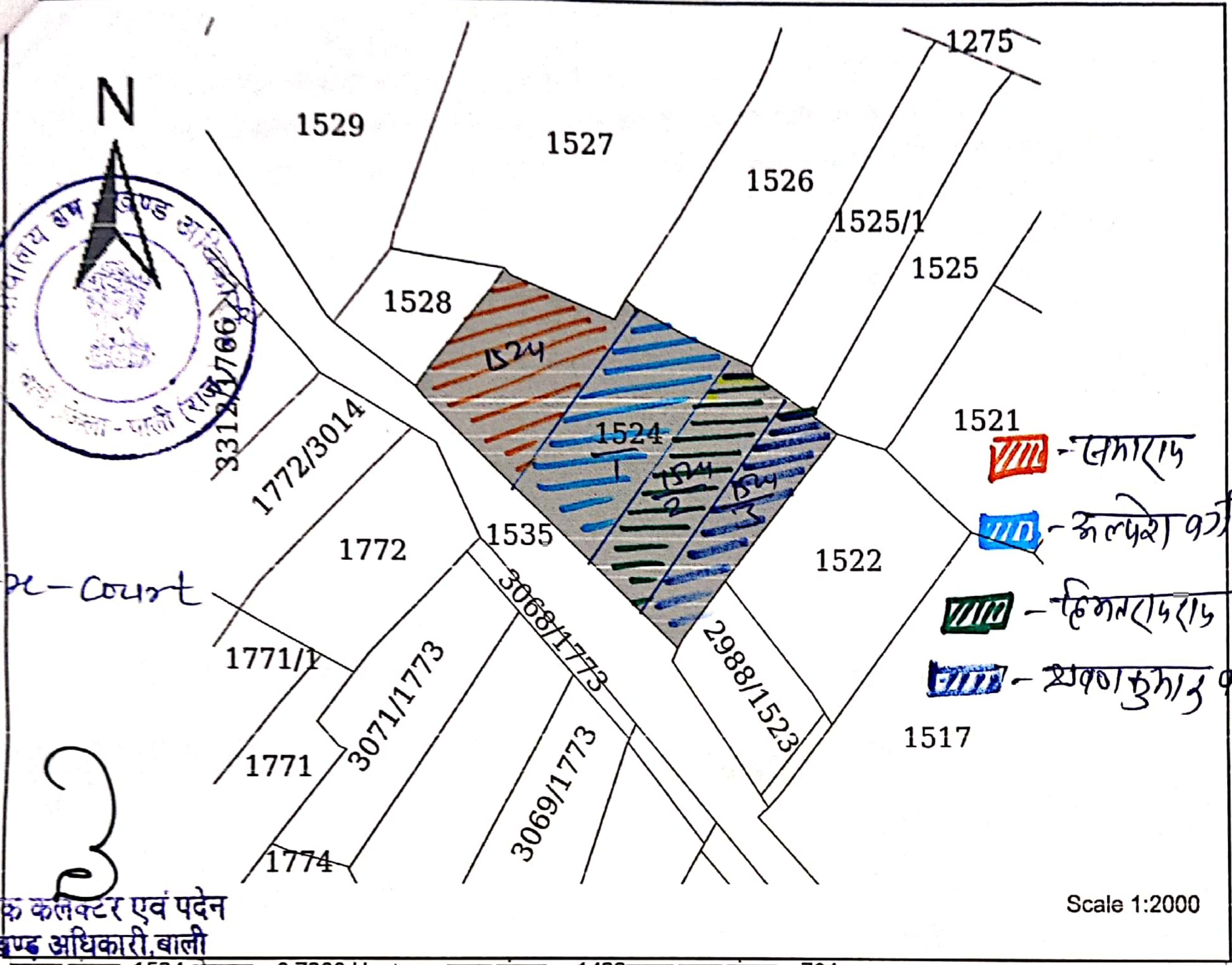

सहायक कलेक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी,बाली

खसरा संख्या :1524 क्षेत्रफल : 0.7200 Hectare खाता संख्या : 1433पुराना खाता संख्या :704

भूमि किस्म[क्षेत्रफल लगान]: नहरी सोयम [0.7200, 5.76]

1.) अल्पेश पुत्र नारायणलाल हिस्सा- 19/180 जाति- लवार सा. देह खातेदार
2.) प्रवीण कुमार पुत्र नारायणलाल हिस्सा- 1/20 जाति- लवार सा. देह खातेदार
3.) पिंकी पुत्री नारायणलाल हिस्सा- 1/20 जाति- लवार सा. देह खातेदार
4.) ममता पुत्री नारायणलाल हिस्सा- 1/20 जाति- लवार सा. देह खातेदार
5.) श्रवण कुमार पुत्र बच्चूलाल दवे हिस्सा- 1/9 जाति- ब्रह्माण सा भाटून्द खातेदार
6.) शिल्पा पुत्री नारायणलाल हिस्सा- 1/20 जाति- लवार सा. देह खातेदार
7.) समाराम पुत्र धनाराम हिस्सा- 2/9 जाति- रैबारी (देबासी) सा कोटबालियान खातेदार
8.) सोहनलाल प्रजापत पुत्र पदमाराम हिस्सा- 1/9 जाति- कुम्हार(प्रजापति) सा देह खातेदार
9.) हिम्मतराम पुत्र रामलाल हिस्सा- 1/4 जाति- कुम्हार(प्रजापति) सा देह खातेदार

सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एवं सील

मोतीलाल सोलंकी
पटवारी (भू.अ.)
तह. - बाली जिला - पाली

नोट :- १. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।
२. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।
३. प्रविष्टियों में संशोधन/सत्यापित प्रतिलिपि हेतु सम्बंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें। ULPIN no.: null

तहसीलदार (भू.अ.) बाली

Scanned with CamScanner